प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक –एन0एच0पी0एस0/पत्रा–431–F/2018–19/520 लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2018

विषय– आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार "आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन" (AB-NHPM) का संचालन किया जाना है। योजनान्तर्गत एस0ई0सी0सी0 (Socio Economic Caste Census) डाटा बेस के पात्र परिवारों को राजकीय एवं चिन्हित निजी चिकित्सालयों के माध्यम से रू0–05.00 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार को फ्लोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशो, योजना के विभिन्न गति–विधियों से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, एवं नोडल अधिकारी के कार्य तथा दायित्वों से अवगत कराये जाने के दृष्टिगत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के नोडल अधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी) के साथ तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिक को आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया जाना है।

उक्त कार्यशाला निम्नलिखित तालिका में अंकित जनपद के सम्मुख अंकित दिनांक को स्टेट हेल्थ एजेन्सी, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ के सभागार कक्ष में अपरान्ह 02:00 बजे से 04:00 बजे तक आयोजित की गयी है :–

क्र0सं0	मण्डल का नाम	बैठक दिनांक
01	लखनऊ, आजमगढ़ एवं बस्ती	13.08.2018
02	चित्रकूट, झांसी एवं इलाहाबाद	14.08.2018
03	मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर	16.08.2018
04	बरेली, आगरा एवं अलीगढ़	22.08.2018 *
05	वाराणसी, मिर्जापुर एवं कानपुर	23.08.2018
06	गोरखपुर, देवीपाटन एवं फैजाबाद	24.08.2018

अतः उपरोक्तानुसार आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

* दिनांक-22-08-2018 को राजपत्रित अवकाश होने की दशा में उक्त दिवस को आयोजित बैठक आगामी कार्यदिवस को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की जायेगी।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

पत्रांक –एन0एच0पी0एस0/पत्रा–431–F/2018–19/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित।

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव